सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 654/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. सजय कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
2. महेश कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1

निर्णय **दिनांक** :–

वादीगण संजय व अन्य ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 28–12–2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया के व्यापक प्रावधानेा के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 आपस मे सयुक्त के सदस्य है। प्रतिवादी स 01 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी स 1 वेदप्रकाश के नाम से तहसील संगरिया के चक न 5 एम.जे.डी कि जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स 76/57 मे 2.783 है0 कृाष भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिनकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। जो वादपत्र का आधार है। कि प्रतिवादी स 1 वादीगण के पिता है। जो कि एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है।कि वाद पत्र की चरण स 02 मे वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमती व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बटवारनामा मे प्राप्त कृाष भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहै है। प्रतिवादीगण का उक्त कृाष भूमि मे जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने उक्त हक व हिस्सा का त्याग मौखीक रूप से अपने पुत्र वादीगण के पक्ष मे ब.ही.ब कर दिया है। कब्जा बाब्त आपस मे कोई विवाद नही है उक्त कृाष भूमि मे इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारनामा मे निम्नलिखित कृाष भुमि प्राप्त हुई है।

वादीगण के हक व हिससा मे ब.हि.ब कृाष भूमि

चक नम्बर	खाता सख्या	रकबा
05 एम0जे0डी0	76/57	2.783है0

कि वादीगण व प्रतिवादीण को उक्त कृाष भुमि म जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनत है। उक्त कृाष भूमि वादीगण के दादा एव प्रतिवादी स 1 के पिता स्व श्री बीरबलराम से विरासतन मे प्राप्त हुई है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस मे

सत्यमेव ज
Web Copy - N

घरू बंटवारानामा कर लिया है,उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बंटवारनामा कर लिया है, उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादीगण वाद पत्र की चरण स 04 मे वर्णित कृाष भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त कृाष भुमि वादीगण के पिता एव प्रतिवादी स 1 वेदप्रकाश के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड रहा है। तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है। इसी कारण वादीगण उक्त कृाष भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। कि वादीगण को उक्त कृाष भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है।कि वादीगण को उक्त कृाष भूमि अपने दादा स्व श्री बीरबलराम से विरास्तन मे प्राप्त हुई थी जिसमे वादीगण का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। तथा वादीगण एव प्रतिवादीण के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृाष भूमि वादीगण के पिता श्री वेदप्रकाश के नाम होने के कारण वादीगण के भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है इसलिऐ वादीगण अपने नाम की घोषण करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वाद पत्र कि चरण सख्या 04 मे वर्णित तथ्य अनुसार कृाष भूमि का खातेदार काश्तकार घोाषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने एसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया बस यही वाद कारण है।कि वादीगण को उक्त कृाष भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोाषित नही किया गया तो वादीगण को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही आकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संन्तुलन वादीगण के पक्ष मे है। कि प्रति स02 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।कि वाद पत्र माननीय न्यायलय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा वाद वादीगण पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावेः कि इस आश्य कि घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स 04 के अनुसार वादी को 05 एम.जे.डी खाता स 76/57 म दर्ज 2.783है कृाष भुमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोाषित किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी प्रतिवादी स 1 वेदप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम अकित किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 का ज्बाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी का साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा चक नं. 5 एम.जे.डी ज.स 2070–2073 के खाता स 76/57 नहरी कृाष भूमि जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 5 एम.जे.डी ज.स 2070–2073 के खाता स 76/57 मे 2.783 है0 वादीगण को ब.हि.ब भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 5 एम.जे.डी ज.स 2070–2073 के खाता स 76/57 मे दर्ज 2.783हे0 भुमि का वादीगण को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 का नाम कलमजन किया जावें पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 654/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. सजय कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
2. महेश कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 5 एम.जे.डी ज.स 2070–2073 के खाता स 76/57 मे दर्ज 2.783हे0 भुमि का वादीगण को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सख्या 1 के नाम कलमजन किया जावें ।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया